‘आकांक्षी जिलों पर कार्यों करने से भारत की मानव विकास सूचकांक (HDI) संबंधी स्थिति में सुधार होगा’ : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 10 मार्च 2018 : आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में "विकास संकल्पित हम" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का डिजिटल उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन; केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री अनन्त कुमार; लोक सभा के उपाध्यक्ष, डॉ. एम.तम्बी दुरै; केन्द्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य मंत्रीगण, केंद्रीय राज्य मंत्रीगण, राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारीगण, संसद सदस्यगण, राज्य विधानमण्डल के सदस्यगण और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संसद भवन के इसी ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में हमारे महान नेताओं ने भारत के संविधान की रचना की थी, जहां आज इस प्रतिष्ठित सम्मेलन के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत के संविधान को पूरे विश्व में इसमें अंतर्निहित सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों के कारण जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का अभिन्न अंग सामाजिक उत्तरदायित्व हमें सभी राज्यों में एक समान विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है।

इस बात का उल्लेख करते हुए कि अनेक जिले विकास के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, श्री मोदी ने कहा कि समस्या उपलब्ध संसाधनों या बजट परिव्ययों का अभाव नहीं अपितु शासन, नीतियों और कार्यक्रमों के समन्वयन और इनके प्रभावी कार्यान्वयन में है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य में कुछ जिले ऐसे होते है जो विकास के पैमाने पर खरे उतरते हैं। उन्होंने प्रतिनिधियों से आग्रह किया वे ऐसे जिलों से प्रेरणा लेकर अल्प विकसित जिलों में कार्य करें। उनका यह भी मानना था कि जनभागीदारी से हमेशा सहायता मिलती है और जहां कहीं भी अधिकारियों ने विकास की प्रक्रिया में लोगों के साथ मिलकर और उनकी सहभागिता से कार्य किया है, तब परिणाम परिवर्तनकारी रहे हैं।

प्रधान मंत्री ने कहा कि विकास के 48 पैरामीटर्स के आधार पर नीति आयोग द्वारा पूरे देश के 115 आकांक्षी जिलों की पहचान की गई है जिनके समग्र विकास को सुकर बनाने के लिए विशेष दृष्टिकोण को अपनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि

चूंकि 'पिछड़े जिले' शब्द के उपयोग में नकारात्मकता का तत्व है इसीलिए ऐसे जिलों को 'आकांक्षी जिलों' का नाम दिया गया है। उन्होने सभी जनप्रतिनिधियों से मिलकर प्रयास करते हुए उन्हें 'विकसित जिले' बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने सभी भागीदारों से निर्धनतम वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करने और सकारात्मक सोच के साथ उन्हें सशक्त बनाने का आह्वान किया। श्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आकांक्षी जिलों के बारे में कार्यवाही करने से मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत की स्थिति बेहतर होगी और सामाजिक न्याय का उद्देश्य भी प्राप्त होगा।

प्रधान मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद देश के लिए बहुत अच्छा है जिसमें राज्य और जिले विकास में उत्कृष्टता के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास श्रमशक्ति, कौशल और संसाधन मौजूद है और आज जरूरत इस बात कि है कि सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए इसे अपना मिशन बनाकर कार्य किया जाए।

श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मेलन अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन की सरहनीय पहल है और उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि इस सम्मेलन में होने वाले विचार विमर्श से नए और विकसित भारत का सपना साकार करने में बहुत मदद मिलेगी।

इससे पहले सम्मेलन में प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि इस अद्वितीय सम्मेलन के आयोजन की प्रेरणा उन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकास संबंधी संकल्पना से मिली। उन्होंने कहा कि हालांकि विश्व समुदाय ने वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के टार्गेट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है तथापि जनप्रतिनिधियों को भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष अर्थात वर्ष 2022 में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रधानमंत्री की संकल्पना को साकार करने के प्रयास करने चाहिए ताकि भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश बन सके।

श्रीमती महाजन ने इस बात का उल्लेख किया कि सतत विकास लक्ष्यों के मुद्दे पर संसद में 4 अलग अलग अवसरों पर चर्चा हो चुकी है। इसलिए समय आ गया है कि सर्वांगीण विकास के लिए इस महत्वपूर्ण मामले पर सक्रिय रूप से विचार करने में राज्यों के विधान मण्डल भी पहल करें। उन्होने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक नीतियाँ और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं और सांसदों और विधायकों को

मिलकर इनके कार्यान्वयन, निगरानी और निष्पादन संबंधी कार्यों की देखरेख करनी है। श्रीमती महाजन ने आशा व्यक्त की कि इस सम्मेलन से जनप्रतिनिधियों को मंत्रियों और सांसदों के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर प्राप्त होगा जिससे कार्यान्वयन संबंधी रणनीतियों में कमियों का पता लगाया जा सकेगा।

10 और 11 मार्च 2018 को भारतीय संसदीय ग्रुप के तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन का उद्देश्य संसद सदस्यों और पूरे देश के राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वे अपने अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकें, एक दूसरे की सफलताओं से कुछ सीख सकें और सतत विकास लक्ष्यों के आलोक में विकास संबंधी मुद्दों के बारे में एक नज़रिया विकसित कर सकें।